

State Nodal Officer
U.P. Jnahit
GauranteeAdhiniyam
Govt. of U.P.



सेवा में,

1. कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।
2. परीक्षा नियंत्रक,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासन के अर्द्धशा0प0सं0-479/सत्तर-1-2018, दिनांक 22 जून, 2018 द्वारा मुझे समस्त राज्य विश्वविद्यालयों का नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिसके क्रम में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत जिन सेवाओं को ऑनलाईन(End to End) किया जाना था वह वर्तमान में निम्नवत् है:-

1. NAD(भारत सरकार) के पोर्टल पर डिग्री एवं मार्कशीट को उपलब्ध कराना है जोकि प्रक्रियाधीन है।
2. NSS का ऑनलाईन पोर्टल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. छात्र/छात्राओं के लिए ऑन लाईन त्रुटि हेतु संशोधित प्रार्थना पत्र तैयार है एवं समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के पोर्टल पर लिंक है।
4. अनापत्ति प्रमाण पत्र को समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के लिये NIC के माध्यम से ऑन लाईन किया जा रहा है, जो उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल से लिंक किया जाना है।

भवदीय

(अभिज्ञान ऐश्वर्य)

टेक्निकल असिस्टेंट,

नोडल अधिकारी, जनहित गारण्टी अधिनियम,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

पत्र 03-05/2018

दिनांक 11/07/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. इंचार्ज, वेबसाइट, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. श्री रणजीत यादव, उपकुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(अभिज्ञान ऐश्वर्य)

टेक्निकल असिस्टेंट,

नोडल अधिकारी, जनहित गारण्टी अधिनियम,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
लखनऊ।